प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 19.05.2023

अवैध वीजा बनाकर विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा "अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी" के संबंध में चलाये जा रहे अभियान व धोखा धड़ी की घटनाओ के खुलासे हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में व पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी कैण्ट गोरखपुर के कुशल निर्देशन में रणधीर कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना कैण्ट के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 अवधेश चन्द्र मिश्रा द्वारा मुखबिर की सूचना पर मय कैण्ट टीम के थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 380/23 धारा 420/467/468/471/506 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त राजेश सिंह पुत्र स्व0 चन्द्रिका सिंह निवासी श्रवणनगर सिंघड़िया थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 18.05.2023 को वादी ने प्रतिवादी राजेश सिंह द्वारा विदेश भेजने के नाम पर पैसो की ठगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था।

अभियुक्त द्वारा पूछताछ मे बताया गया कि मै गोरखपुर टेक्नीकल इन्स्टीट्यूट एण्ड ट्रेड सेन्टर सिंघड़िया में चलाता हूँ जहाँ मेरे सहयोगी संतोष श्रीवास्तव नि0 रामजानकीनगर थाना शाहपुर गोरखपुर व सिराज निवासी लपकनी गौरी बाजार देवरिया भी मेरे साथ मिलकर गोरखपुर देवरिया, महराजगंज, कुशीनगर जिलो मे जाकर लोगो को विदेश भेजने का लालच देकर लाखो रुपये इकट्ठा करके लाते है फिर हम लोग अपने इन्स्टीट्यूट पर ही कम्प्यूटर से अवैध वीजा कूटरचना करके तैयार करते है और अवैध टिकट देकर भेजने के लिए कहते है। परन्तु किसी को भेजते नही है और लोगो से मिले रुपयो को आपस में बराबर- बराबर बांट लेते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

राजेश सिंह पुत्र स्व0 चन्द्रिका सिंह निवासी श्रवणनगर सिंघड़िया थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 380/23 धारा 420/467/468/471/506 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार अभियुक्त राजेश सिंह का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 380/23 धारा 420/467/468/471/506 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 404/17 धारा 138 परक्राम्य लिखत अधि0 व 406 भादवि थाना कैण्ट गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 63/23 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना सिन्दुरिया जनपद महाराजगंज
4. मु0अ0सं0 193/22 धारा 406/419/420/504/506 भादवि थाना सिन्दुरिया जनपद महाराजगंज
5. मु0अ0सं0 194/22 धारा 406/419/420/504/506 भादवि थाना सिन्दुरिया जनपद महाराजगंज
6. मु0अ0सं0 195/22 धारा 406/419/420/504/506 भादवि थाना सिन्दुरिया जनपद महाराजगंज

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अवधेश चन्द्र मिश्रा चौकी प्रभारी ई0कालेज थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. हे0का0 उपेन्द्र कुमार थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. का0 वैभव कुमार श्रीवास्तव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर